

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 91B/2017-18

गुलापी महतो बनाम ईस्टु महतो

:: आदेश ::

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

09.10.17  
अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 679 दिनांक 09.05.17 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 91 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता गुलापी महतो पति-स्व० काशीनाथ महतो, ग्राम-बड़ाकांकी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने बेटी की शादी हेतु क्रेता ईस्टु महतो, पिता-स्व० सोयराम महतो, ग्राम-टंगरानी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	खेसरा न०	रकवा
बड़ाकांकी	62	7	731	0.45ए०

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ससुर स्व० कमल लोचन महतो के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती हैं। आवेदिका के हिस्से में 3.52 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.45 ए० भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.07 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.45 ए० भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
सरायकेला।